न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :- जोगेन्द सिंह, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 160/2025 राजस्व प्रार्थनापत्र

1. राजू पुत्र श्री देवा गुर्जर आयु वयस्क निवासी- गोरख्या तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. महाराम पुत्र श्री देवा गुर्जर आयु वयस्क निवासी- गोरख्या तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. तलोक गुर्जर पुत्र श्री बक्तावर गुर्जर आयु वयस्क निवासी- गोरख्या तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा- 129, 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित :-

1. श्री अशोक कुमार लखारा —अधिवक्ता प्रार्थी
2. एकपक्षीय —विपक्षी संख्या 01
2. पेशकार सरकार —अधिवक्ता-विपक्षी संख्या 02

दिनांक—13.09.2025(लोक अदालत)

:: निर्णयः

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने धारा 129, 131, 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का प्रार्थनापत्र इस आशय का पेश किया कि सरहद गोरख्या पटवार हल्का गोरख्या भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोरख्या तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 4739/2454 रकबा 0.1771 हैक्टयर जो कि प्रार्थीगण के नाम पर एव आराजी नम्बर 4738/2454 रकबा 0.0126 हैक्टयर जो कि विपक्षी संख्या 01 के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। आराजी नम्बर 4739/2454 एव 4738/2454 दोनो एक ही मूल नम्बर 2454 रकबा 0.1897 हैक्टयर के भाग है, उक्त दोनो आराजियात के खातेदारान द्वारा 0.1771 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण को विक्रय की गयी व 0.0126 हैक्टयर भूमि विपक्षी संख्या 01 को विक्रय की गयी है। प्रार्थीगण की क्रयशुदा भूमि के आराजी नम्बर 4739/2454 व विपक्षी संख्या 01 की क्रयशुदा भूमि के आराजी नम्बर 4738/2454 कायम हुए। विपक्षी संख्या 01 द्वारा जो 0.0126 हैक्टयर भूमि क्रय की गयी, जिसके विक्रयपत्र मे भी स्पष्ट रूप से उक्त भूमि जो कि आराजी नम्बर 2452 के लगती हुई रहेगी जो रास्ता हेतु रहेगी, स्पष्ट उल्लेख है, लेकिन राजस्व कर्मचारीयो की लापरवाही से उक्त आराजी नम्बर 4738/2454 को आराजी नम्बर 2452 के लगती हुई तरमीम नही कर आराजी नम्बर 2449 के लगती हुई तरमीम कर दी है, जो कि राजस्व कर्मचारीयो की भूल व लापरवाही है। इस कारण से उक्त भूमि को रजिस्ट्री मे वर्णितानुसार तरमीम करायी जाना आवश्यक है व साथ ही उक्त 0.0126 हैक्टयर का रास्ता भी आराजी नम्बर 2452 के सटमा विद्यमान है। प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि का सीमाकंन कराने हेतु हाल ही मे पटवार हल्का के पास जाने पर उक्त भूमि गलत तौर पर तरमीम होने की जानकारी हुई, इस पर प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण को उक्त भूमि को विक्रयपत्र के आधार पर तरमीम दुरूस्त कराने हेतु निवेदन किया, लेकिन विपक्षीगण तैयार नही हुए व दिनाक 08/04/2025 को विपक्षी संख्या 02 को निवेदन करने पर सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करने की हिदायत दी। उक्त गलत तरमीम होने से प्रार्थी के वैध हक अधिकारो का हनन हो रहा है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व विपक्षीगण को नोटिस जारी किया गया व विपक्षी संख्या 01 के उपस्थित होकर राजस्व लोक अदालत मे सहमत होने का कथन कर सहमति जाहिर की गई। मामले मे तहसीलदार, करेड़ा से मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए जमाबंदी मे दर्ज रकबे अनुसार राजस्व नक्शे मे तरमीम हेतु निवेदन किया गया।

मैने पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री एव दस्तावेजात रेकार्ड का अवलोकन किया। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की आराजी कब्जे अनुसार तरमीम नही है। उभयपक्ष सहमत होने से मौका पर्चा रिपोर्ट मे वर्णित कब्जे अनुसार तरमीम करवाया जाना कराया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

: आदेश :

प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर सरहद गोरख्या पटवार हल्का गोरख्या भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोरख्या तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0) की आराजी नम्बर 4738/2454 रकबा 0.0126 हैक्टयर के राजस्व नक्शे मे पटवार हल्का मौका रिपोर्ट के साथ सलग्न नक्शे अनुसार तरमीम की जावे। इस आदेश की पालना मे तहसीलदार, करेडा को तहरीर भय पटवार हल्का नक्शा जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावे। मौका नक्शा की प्रति सलग्न है।

यह आदेश आज दिनाक 13.09.2025(लोक अदालत)को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेडा जिला भीलवाडा (राज0)

Scanned with OKEN Scanner